न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 21/2019 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. रमेशचन्द शर्मा पुत्र श्री मूलचन्द शर्मा उम्र 62 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी डाबर खुर्द तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र श्री रेवड जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम डाबरखुर्द तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।
2. अध्यक्ष आवंटन सलाहकार कमेटी (उपजिलाधीश दौसा) जिला दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 06.06.1989 ग्राम डाबर खुर्द तहसील लालसोट हाल तहसील रामगढ पचवारा

उपस्थिति : श्री कमलेश सैनी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
: श्री विष्णु कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित।

—:निर्णय:— दिनांकः 04.07.2023

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम डाबर खुर्द तहसील रामगढ पचवारा स्थित सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 14 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा में से 5 बीघा 14 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 06.06.1989 को अप्रार्थी संख्या 1 कन्हैयालाल पुत्र श्री रेवड के हक में किया गया था। उक्त भूमि का आवंटन योग्य नहीं होना, भूमि आवंटन के सम्बन्ध में कोई उद्घोषणा जारी नहीं किया जाना, आवंटी का वादग्रस्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं होना एवं उक्त आवंटन नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जाना व्यक्त करते हुये प्रार्थी द्वारा विवादग्रस्त भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 6.6.1989 को निरस्त करवाये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र 14(4) इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गयी। प्रकरण से सम्बन्धित मूल आवंटन अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम डाबर खुर्द तहसील रामगढ पचवारा में स्थित सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 14 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा भूमि का आवंटन आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुये अवैधानिक रूप से अप्रार्थी संख्या 1 के हक में किया गया है। खसरा नम्बर 14 ग्राम डाबर खुर्द के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई उद्घोषणा नहीं की गई, न ही मौके पर उक्त भूमि आवंटन योग्य थी, न ही आवंटी का वादग्रस्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। आवंटन के लिये निहित नियमों की पालना नहीं करते हुये विधि विरूद्ध तरीके से वादग्रस्त भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 के हक में किया गया है। आवंटन के लगभग 25 वर्ष पश्चात् उक्त आवंटन का गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 154 दिनांक 29.04.2014 को खोला गया है। आवंटित भूमि पर आंवटी का कब्जा नहीं रहा है। जबकि आवंटन नियमो के अनुसार आवंटी का प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत एवं शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जोतना आवश्यक होता है। किन्तु आवंटी द्वारा शर्तो की पालना नहीं की गई है। आवंटनशुदा भूमि पर प्रार्थी अपने बुजुर्गान के समय से लगभग 55–60 वर्ष से भी अधिक समय से मकान बनाकर अपने परिवार सहित स्थाई रूप से निवास करता चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपनी आर्थिक लागत लगाकर भूमि को काबिल काश्त व उपजाऊ बनाया है। आवंटन के समय व आवंटन से पूर्व भी भूमि खाली नहीं थी बल्कि प्रार्थी व प्रार्थी के पूर्वजो का कब्जा काश्त था एवं आज भी हैं तथा आवंटन से पूर्व भूमि के सम्बन्ध में कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई है। आवंटन की कार्यवाही ना तो मजमे आम में हुई ना ही आवंटन कमेटी का कोरम पूरा था। आवंटन फार्म भी विधिवत नहीं भरा गया एवंअपूर्ण है। आवंटन की कार्यवाही गुपचुप में की गई। आवंटन के समय आवंटी भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं था। आवंटन के लिये किये गये आवेदन प्रपत्र में भूमिहीन कृषक के खाने में आवेदक को भूमिहीन कृषक अंकित नहीं किया गया। प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 06.06.1989 किसी भी सूरत में विधि अनुरूप नहीं हो सकता है। अतः प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार फरमाया जाकर प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 06.06.1989 खारिज किये जावे। अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से द्वारा रेवेन्यू बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त **RRT- 2021(2) Page 1140, RRT- 2021(2) Page 1305, RRT- 2007(2) Page 983, RRT- 2018-19(supp) Page 338, RRT- 2021(1) Page 212, RRT- 2006(2) Page 1138, RRT- 2016(1) Page 676** पेश किये गये।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन से लगभग 30 वर्ष बाद पेश किया है। प्रार्थी ने अपने कलूषित उद्देश्यो की पूर्ति हेतु आवंटी अप्रार्थी कन्हैयालाल को अकारण हैरान परेशान करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त भूमि का आवंटन अप्रार्थी कन्हैयालाल के कब्जे काश्त में होने के कारण हुआ था तथा आवंटन के बाद से आज दिन तक अप्रार्थी काश्त कर लाभान्वित होता चला आ रहा है। अप्रार्थी के कब्जे–काश्त का सर्वोत्तम प्रमाण सम्वत 2074–2077 की खसरा गिरदावरी है जिसमें अप्रार्थी द्वारा बाजरा व ग्वांर की फसल काश्त कर रखी है। अप्रार्थी ने सिंचाई हेतु उक्त भूमि पर विद्युत कनेक्शन स्थापित कर रखा है। अप्रार्थी को आवंटनशुदा भूमि पर आवंटन से पूर्व व बाद में निरन्तर कब्जे काश्त को आधार मानते हुये आवंटन कमेटी ने दिनांक 06.06.1989 को उक्त भूमि में से 5 बीघा 14 बिस्वा भूमि का आवंटन अप्रार्थी को किया तथा आवंटी अप्रार्थी ने आवंटन के समस्त नियमों का विधिपूर्वक पालन करते हुये उक्त आवंटनशुदा भूमि को काश्त करता रहा। जिसके फलस्वरूप अप्रार्थी के हक में गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 154 दिनांक 29.04.2014 स्वीकार हुआ, तदोपरान्त नामान्तरकरण संख्या 198 दिनांक 29.12.2017 स्वीकार कर आवंटी कन्हैयालाल को गैर खातेदारी से खातेदार के रूप में इन्द्राज किया गया। माननीय रेवेन्यू बोर्ड ने आर.आर.डी. 1994 पेज 381 पर यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यद्यपि आवंटन के समय प्रार्थना पत्र पूर्ण नहीं था किन्तु यदि आवंटन समिति के सदस्य एवं आवंटन अधिकारी ने इसके आधार पर आवंटन कर दिया है तो इसे नियम विरूद्ध नहीं कहा जा सकता है। आर.आर.टी. 2005(1) पेज 648 में रेवेन्यू बोर्ड ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो जाने के बाद आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र 14(4) लगभग 30–32 वर्ष बाद प्रस्तुत किया है, जो कि अप्रार्थी कन्हैयालाल को हैरान परेशान करने की गरज से झूंठे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। ऐसे में प्रार्थी किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **RRT- 2017(1) Page 245, RRT- 2017(1) Page 327, RRT- 2005(1) Page 648, RRD 1994 Page 381, RRD 2001 Page 206, RRT- 2005(1) Page 649** पेश किये गये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। साथ ही अधिवक्तागण उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि आवंटी अप्रार्थी संख्या 1 कन्हैयालाल पुत्र श्री रेवड जाति ब्राह्मण निवासी डाबरखुर्द तहसील रामगढ पचवारा को दिनांक 06.06.1989 को आवंटन किया गया है। आवंटन हुए लगभग 30 वर्ष हो गये है। आवंटी अप्रार्थी संख्या 1 को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य, सबूत भी पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं है। प्रार्थी द्वारा स्वयं के लिये अनुतोष प्राप्त करने हेतु कोई औचित्यपूर्ण तथ्य एवं सबूत भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटन आदेश दिनांक 06.06.1989 ग्राम डाबर खुर्द तहसील लालसोट हाल तहसील रामगढ पचवारा बहक अप्रार्थी संख्या 1 कन्हैयालाल पुत्र श्री रेवड जाति ब्राह्मण निवासी डाबरखुर्द तहसील रामगढ पचवारा के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 04.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा